कार्यालय :— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांक 44 / एक—11—2 / 98 विदिशा, दिनांक : 08 / 06 / 2024

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण कमांक 99 / 2023 उमेदीबाई विरूद्ध रवि जाट आदि का प्रकरण दिनांक 11.08.2023 को श्री डी0एस0 परमार, तृतीय अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना अधिकरण, गंजबासौदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण कमांक 89 / 2023 सुमित्राबाई विरूद्ध रवि जाट आदि न्यायालय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विदिशा के समक्ष दिनांक 11.05.2023 को पेश किया गया है। उक्त दोनों प्रकरण एक ही घटना से उद्भूत है।

आवेदिका उमेदीबाई पत्नी स्व0 श्री हल्कूराम कुशवाह निवासी—मोहम्मदगढ़ जिला विदिशा की निवासी होना उल्लेखित है। साथ ही मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कमांक 89 / 2023 सुमित्राबाई विरूद्ध रवि जाट आदि के आवेदकगण भी ग्राम मोहम्मदगढ़ जिला विदिशा के निवासी है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डी0एस0 परमार, तृतीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गंजबासौदा के न्यायालय में लंबित प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क0 99 / 2023 उमेदी बाई विरूद्ध रवि जाट आदि प्रत्याहरित कर सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विदिशा के न्यायालय में विधि अनुसार निराकरण किये जाने हेतु अंतरित किया जाता है।

सही/-
(ज़ाकिर हुसैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 2076 / एक—11—2 / 98 विदिशा, दिनांक 08 / 06 / 2024

प्रतिलिपि :—

01. श्री डी0एस0 परमार, तृतीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गंजबासौदा की ओर मूल प्रकरण प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, आवेदिका उमेदीबाई के संबंध में पारित आदेश दिनांक 22.05.2024 के अनुसार नाम विलोपित करते हुए सत्यापन / अभिप्रमाणित उपरांत प्रकरण अंतरित न्यायालय को प्रेषित करें।
02. प्रस्तुतकार, न्यायालय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विदिशा
03. अध्यक्ष / सचिव, अभिभाषक संघ, विदिशा, गंजबासौदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
04. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, विदिशा एवं आई.टी. असिस्टेंट, कुरवाई की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारी को ई—मेल करने एवं सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में प्रकरण अंतरित करने तथा आदेश की प्रति न्यायालय की बेव साईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विदिशा (म0प्र0)